भारत संघ और अन्य

बनाम

काशीश्वर जन

(2008 की सिविल अपील संख्या 2259)

31 मार्च, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सतशिवम, जेजे.)

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशनः

पेंशन की पात्रता की तिथि स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन के लिए आवेदन केंद्र सरकार द्वारा खारिज उच्च न्यायालय द्वारा संदेह के लाभ पर दावा स्वीकार किया गया।

पेंशन उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख से दी जानी है ना कि आवेदन दाखिल करने की तारीख से।

प्रतिवादी ने स्वयं को स्वतंत्रता सेनानी होने का दावा करते हुए स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन की मंजूरी के लिये दिनांक 28.07.1981 को एक आवेदन दायर किया। उनके दावे को केंद्र सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया था। लेकिनए उनकी रिट याचिका को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 4.8.1993 को अनुमति दी गई।

सरकार की लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज कर दिया गया और विशेष अनुमति की याचिका को भी कालातित मानकर खारिज कर दिया गया। इसके बाद प्रतिवादी ने आवेदन की तारीख 28.7.1981 से पेंशन का दावा किया; जबकि सरकार का रुख यह था कि चूंकि प्रतिवादी को संदेह का लाभ दिया गया था, इसलिए वह उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख, 4.8.1993 से पेंशन का हकदार था।

उच्च न्यायालय ने सरकार का पक्ष नहीं माना और सरकार ने तत्काल अपील दायर की।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने मानाः कौशल्या देवी के मामले में, इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, पेंशन उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख 4.8.1993 से दी जानी है। (पैरा-8) [930- ई-एफ]

कौशल्या देवी 2007 (9) एस. सी. सी. 525 पर भरोसा किया।

एम. एल. भंडारी बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 2127 उद्धृत।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2008 की सिविल अपील संख्या 2259

कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता के डब्ल्यू. पी. संख्या 9810 (डब्ल्यू) /2000 में के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 22/3/2005 से।

टी. एस. दोआबिया, लता कृष्णमूर्ति, अशोक कुमार सिंह, नरेश कुमार गौर, सुरिंदर दत्त शर्मा, बी. स्वराज, अनिल कुमार तांडले, सुषमा सूरी, रेखा पांडे, मनोज सक्सेना, रजनीश सिंह, राहुल शुक्ला, टी. वी. जॉर्ज, एन. आर. चौधरी और सोमनाथ मुखर्जी उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में चुनौती कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल के फैसले को है जिसने प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को मंजूरी दी थी। विवाद एक बहुत ही संकीर्ण दायरे में है। प्रतिवादी ने स्वतंत्रता सेनानी होने का दावा किया और स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन का दावा किया। इस संबंध में 28 जुलाई, 1981 को आवेदन दायर किया गया था। आवेदन को केंद्र सरकार ने 29.1.1993 को खारिज कर दिया था।

एकल न्यायाधीश के आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी। रिट याचिका की अनुमति दी गई और वर्तमान अपीलार्थियों को प्रतिवादी को पेंशन जारी करने का निर्देश दिया गया।

3. उक्त आदेश से व्यथित महसूस करते हुए डिवीजन बेंच ने एक लेटर्स पेटेंट अपील दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया था। इस न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका भी दायर की गई थी जिसे समय द्वारा वर्जित के रूप में अस्वीकार कर दिया गया। सवाल यह उठा कि प्रतिवादी किस तारीख से पेंशन का हकदार था। अपीलकर्ताओं ने 4 अगस्त, 1993 से पेंशन जारी कर दी जब प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश ने अनुमति दी गई थी। प्रत्यर्थी ने पेंशन का दावा आवेदन दाखिल करने की तारीख से किया। उनके अनुसार वह 28.7.1981 से पेंशन का हकदार है, जब उसने आवेदन दायर किया था। एम. एल. भंडारी बनाम भारत सं [ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 2127] में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया गया था।

4. वर्तमान अपीलार्थियों का पक्ष यह था कि अपेक्षित जानकारी की आपूर्ति के संबंध में राज्य सरकार के गैर सक्रिय रवैये के कारण 1993 तक प्रतिवादी के दावे पर निर्णय नहीं लिया जा सका। किसी भी मामले में, प्रत्यर्थी को संदेह का लाभ दिया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरूप, आदेश की तारीख 4 अगस्त, 1993 से पेंशन दी गई थी। उच्च न्यायालय ने इस रुख को स्वीकार नहीं किया।

5. अपील के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है क्योंकि यह प्रश्न कि क्या प्रत्यर्थी पेंशन का हकदार था और क्या उन्होंने दिशानिर्देशों को पूरा किया था, जाँच के अधीन

था। राज्य सरकार द्वारा निश्चित सामग्री नहीं रखी गई थी और केवल उन्हें संदेह का लाभ दिया गया और उच्च न्यायालय के आदेश के कारण उन्हें पेंशन दी गई।

6. दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया।

7. लगभग इसी तरह का मुद्दा भारत संघ और अन्य बनाम कौशल्या देवी (2007 (9) एस. सी. सी. 525), में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस रूप में देखा गया।

> "3. पक्षों की ओर से विद्वानों की सलाह सुनी और रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया। इस मामले में संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी को आवेदन की तारीख से या पेंशन देने के आदेश की तारीख से स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन दी जानी चाहिए।
>
> 4. यह इस न्यायालय द्वारा भारत सरकार बनाम के. वी. स्वामीनाथन में अभिनिर्धारित किया गया-जहां संदेह के लाभ के आधार पर दावे की अनुमति दी गई है, वहां पेंशन आवेदन की तारीख से नहीं बल्कि आदेश की तारीख से दी जानी चाहिए।
>
> 5. वर्तमान मामले में, हमने अभिलेख का अवलोकन किया है और पाया है कि उसमें कहा गया है कि साक्ष्य की द्वितीयक प्रकृति के आधार पर दावे की अनुमति दी गई थी। दूसरे शब्दों में, दावे की अनुमति दावेदार द्वारा प्रस्तुत जेल प्रमाणपत्र के आधार पर नहीं बल्कि किसी अन्य बंदी के मौखिक बयान के आधार पर दी गई थी। इसलिए हमारा मानना है कि पेंशन आदेश की तारीख से दी जानी चाहिए, आवेदन की तारीख से नहीं।

6. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के निर्णय मुकुंद लाल भंडारी बनाम भारत संघ (ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 2127) पर भरोसा किया है।

7. हमारी राय में निर्णय अलग करने योग्य है क्योंकि इसमें कहा गया है कि आवेदन से पहले किसी भी तारीख से पेंशन नहीं दी जा सकती है। हमारी राय में इसका मतलब यह नहीं है कि आवेदन के बाद की किसी तारीख से इसे नहीं दिया जा सकता है।

8. ऊपर दिए गए कारणों से यह अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाता है और यह निर्देश दिया जाता है कि पेंशन केवल पेंशन देने के आदेश की तारीख से दी जायेगी, आवेदन की तारीख से नहीं।"

8. कौशल्या देवी के मामले(सुप्रा) ने इस न्यायालय द्वारा जो कहा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए हम निर्देश देते हैं कि पेंशन हैं उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख अर्थात 4.8.1993 से दी जाये।

9. लागत के बारे में बिना किसी आदेश के उपरोक्त सीमा तक अपील की अनुमति दी जाती है।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विकास मारग (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।